अनुलंगनक-1

मानननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-09.02.2016 को 'संवाद' 4, देश रत्न मार्ग, पटना में अपराह्न 06:30 बजे से बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति :- यथा संलग्न।

कार्यावली संख्या - 1

बिहार विकास मिशन के पंजीकृत स्मृति-पत्र एवं नियमावली को शासी निकाय द्वारा अंगीकार (Adopt) करने की स्वीकृति।

बिहार विकास मिशन के स्मृति-पत्र एवं नियमावली के पंजीकरण हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर इसे सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत करा लिया गया है। इसकी निबंधन संख्या-945, दिनांक-03 फरवरी, 2016 है। मिशन के पंजीकृत स्मृति-पत्र एवं नियमावली को शासी निकाय द्वारा अंगीकार (Adopt) करने की स्वीकृति।

निर्णय :- स्वीकृत।

कार्यावली संख्या - 2

2. शासी निकाय की शक्तियों एवं कृत्यों के प्रत्यायोजन का अनुमोदन।

बिहार विकास मिशन के कार्यों के सुगम संचालन हेतु मिशन नियमावली में, जो शक्तियाँ एवं कृत्य कार्यकारी समिति, सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, अध्यक्ष उप-मिशन, उप-मिशन निदेशक को दी गई हैं, उनका उपयोग एवं निष्पादन करने के लिए शासी निकाय की उस हद तक अपनी शक्तियों एवं कृत्यों को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :- स्वीकृत।

कार्यावली संख्या - 3

बिहार विकास मिशन के लिए HR Manual, Procurement Manual एवं Financial Manual तैयार कराने हेतु कार्यकारी समिति को प्राधिकृत करने की स्वीकृति।

मिशन के कार्यों के सुगम संचालन हेतु HR Manual, Procurement Manual एवं Financial Manual बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निविदा तैयार कर

इसे प्रकाशित करने एवं एजेंसी का चयन कर इसे अंतिम रूप देने एवं प्रारंभिक अवधि में मिशन के कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ एवं पेशवर व्यक्तियों को खुली निविदा द्वारा संविदा पर नियोजित करने हेतु कार्यकारी समिति को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।

निर्णय :- स्वीकृत।

कार्यावली संख्या - 4

बिहार विकास मिशन के नाम से खाता खोलने की स्वीकृति।

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका-19 में कोष के संचालन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत मिशन की निधि के संधारण हेतु **"बिहार विकास मिशन"** के नाम से खाता खोलने का प्रावधान है। अतः **"बिहार विकास मिशन"** के नाम से खाता अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) में खोलने की स्वीकृति एवं इस खाते को संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित करने के लिए पदाधिकारियों को नामित करने के लिए कार्यकारी समिति को प्राधिकृत करने की स्वीकृति।

निर्णय :- स्वीकृत।

कार्यावली संख्या - 5

5. **प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुमोदन।**

मिशन के कार्यो के सुगम संचालन हेतु निम्नरूपेण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर शासी निकाय का अनुमोदन -

1. सदस्य सचिव - 5 करोड़ रूपये तक
2. कार्यकारी समिति - 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक
3. शासी निकाय - 10 करोड़ रूपये से अधिक

निर्णय :- स्वीकृत।

कार्यावली संख्या - 6

अन्यान्य (अध्यक्ष की अनुमति से)

... ... की कंडिका 15 में अध्यक्ष उप-मिशन की

मिशन की बैठक में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित करने की शक्ति दी जाय।

निर्णय :- बिहार विकास मिशन नियमावली की कंडिका 15 (7) के बाद 15 (8) निम्नरूप से जोड़ा जाय -

अध्यक्ष, उप-मिशन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उप-मिशन की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव

पटना-15, ... फरवरी, 2016

क :-

प्रतिलिपि :- सभी माननीय मंत्री-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/मुख्यमंत्री र मर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/मुख्य सचिव र-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/विकास आयुक्त, बिहार-सह-सदस्य, शा काय, बिहार विकास मिशन/पुलिस महानिदेशक, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विक शा सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन, पटना नार्थ प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव

पटना-15, ...19...... फरवरी, 20

पांक :- 236

प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई षित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव